रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092021-230085 CG-DL-E-30092021-230085

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 427] No. 427] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2021/आश्विन 8, 1943 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2021/ASVINA 8, 1943

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021

- सं. आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी./078.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात: -
- 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 17 में, उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1क) सिमति और सिमिति के सदस्य, संहिता और इन विनियमों के अधीन कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की बाबत कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग उन दिशानिर्देशों के अनुपालन में करेंगे, जो बोर्ड द्वारा जारी किए जाएं।"।

5564 GI/2021 (1)

- 3. मूल विनियमों के विनियम 36क में, उप-विनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
 - "(4क) रूचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण में कोई भी उपांतरण उस रीति में किया जा सकेगा जिस रीति में रूचि की अभिव्यक्ति के लिए आरंभिक आमंत्रण किया गया था:

परन्तु ऐसे उपांतरण एक से अधिक बार नहीं किए जाएंगे।"।

4. मूल विनियमों के विनियम 36ख में, उप-विनियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु ऐसे उपांतरण एक से अधिक बार नहीं किए जाएंगे ।"।

- 5. मूल विनियमों के विनियम 39 में, उप-विनियम (1क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखे जाएंगे, अर्थात:-
 - "(1क) समाधान व्यावसायिक, यदि समाधान योजना के अनुरोध में परिकल्पित हो,-
 - (क) उप-विनियम (1) के अधीन प्राप्त समाधान योजना में उपांतरण अनुज्ञात कर सकेगा किन्तु ऐसा एक से अधिक बार नहीं होगा; या
 - (ख) समाधान आवेदकों को अपनी योजनाओं में सुधार करने के लिए समर्थ बनाने हेतु चुनौती प्रणाली का उपयोग कर सकेगा।
 - (1ख) समिति, ऐसी किसी समाधान योजना पर विचार नहीं करेगी जो-
 - (क) विनियम 36ख के अधीन समिति द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट समय के पश्चात् प्राप्त होती है; या
 - (ख) ऐसे किसी व्यक्ति से प्राप्त होती है, जिसका नाम भावी समाधान आवेदकों की अंतिम सूची में प्रकट नहीं होता है; या
 - (ग) धारा 30 की उपधारा (2) और उप-विनियम (1) के उपबंधों का अनुपालन नहीं करती है ।"।

डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./290/2021-22]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 सं. 432, तारीख 30 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 284, तारीख 14 जुलाई, 2021 में, अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.075, तारीख 14 जुलाई, 2021 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 द्वारा किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, 30th September, 2021

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons)
(Third Amendment) Regulations, 2021

No. IBBI/2021-22/GN/REG078.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely: -

- 1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 17, after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-
- "(1A) The committee and members of the committee shall discharge functions and exercise powers under the Code and these regulations in respect of corporate insolvency resolution process in compliance with the guidelines as may be issued by the Board."
- 3. In the principal regulations, in regulation 36A, after sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-
- "(4A) Any modification in the invitation for expression of interest may be made in the manner as the initial invitation for expression of interest was made:

Provided that such modification shall not be made more than once.".

- 4. In the principal regulations, in regulation 36B, after sub-regulation (5), the following proviso shall be inserted, namely:-
- "Provided that such modifications shall not be made more than once.".
- 5. In the principal regulations, in regulation 39, for sub-regulation (1A), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-
- "(1A) The resolution professional may, if envisaged in the request for resolution plan-
 - (a) allow modification of the resolution plan received under sub-regulation (1), but not more than once; or
 - (b) use a challenge mechanism to enable resolution applicants to improve their plans.
- (1B) The committee shall not consider any resolution plan-
- (a) received after the time as specified by the committee under regulation 36B; or
- (b) received from a person who does not appear in the final list of prospective resolution applicants; or
- (c) does not comply with the provisions of sub-section (2) of section 30 and sub-regulation (1).".

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./290/2021-22]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG004, dated 30th November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 30th November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2021 published vide notification No. IBBI/2021-22/GN/REG075, dated the 14th July, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 284 on 14th July, 2021.